न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 80/2021 बउनवानी गिर्राज प्रसाद पूर्विया बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी
पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द पूर्विया, ग्राम व पोस्ट उदेई कलां, तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/260

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.10.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 3.8.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—

1. नगर पालिका क्षेत्र व पैराफेरी क्षेत्र में किस—किस मन्दिर की जमीन माफी की कितनी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है कितनी भूमि पर अतिक्रमण है कितनी भूमि खाली है। अतिक्रमित जमीनों पर आप द्वारा की गयी कार्यवाही की नकल नियमानुसार फीस जमा करके एक प्रति दिलावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ परन्तु अपनी आपत्ति जरिये डाक भिजवाते हुए अवगत कराया कि चाही गयी सूचना दिनांक 18.10.2021 तक अपीलान्ट को प्राप्त नही हुई है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः/ सूकाअ/2021/116 दिनांक 12.10.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 3.8.2021 में चाही गयी सूचना जरिये पत्रांक 115 दिनांक 12.10.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। चूंकि कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 3.8.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा जरिये पत्रांक 115 दिनांक 12.10.2021 से अपीलान्ट को भिजवाया जाना बताया गया है किन्तु उक्त भिजवायी गयी सूचना में नगर पालिका क्षेत्र व पैराफेरी क्षेत्र में किस किस मंदिर की खातेदारी मे कितनी भूमि [illegible] सम्बंध मे सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः उक्त सूचना की अपीलान्ट [illegible] निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेखागार की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:53:14 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर